

5

डिक्री मुकदमा इब्त्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्बा दीवानी )

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड़ (राज.)

बइजलास - श्री उम्मेदसिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या - 121/2017/राजस्व वाद

उनवान

1. दिनेशचन्द पि. बालचन्द जाति महाजन नि. सुनेल तहसील सुनेल

- वादी

बनाम

1. शंकर पि. पाण्डुराम जाति ब्राहमण नि.हेमडा तहसील सुनेल

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा तह.पिडावा

-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 , 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति - वकील वादीगण - श्री हुकुमचन्द कुमावत

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाले कतई रूबरू .....व हाजिरी वकील वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादी मिलजामिन मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

प्रस्तुत वाद में ग्राम हेमडा तहसील सुनेल की जमाबंदी सं. 2070-73 के खाता सं. 591 आराजी ख.नं. 849 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी के हक , हिस्सा एवं कब्जा काशत अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार सुनेल से प्राप्त हुआ। दावा फाइनल डिक्री कर पक्षकारान के खाते निम्नानुसार संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार पृथक पृथक दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

1. दिनेशचन्द पि. बालचन्द जाति महाजन नि. सुनेल

ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान
849	0.4934 (1-19 बीघा)	माल प्रथम	0.86

2. शंकर पि. पाण्डुराम जाति ब्राहमण नि.हेमडा

ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान
849/1	0.4807 (1-18 बीघा)	माल प्रथम	0.84



COURT 2021


1

उपखण्ड अधिकारी  
पिडावा जिला झालावाड़ (राज.)

मिज \_\_\_\_\_ मुबलिंग \_\_\_\_\_ बाबत \_\_\_\_\_ खर्चा इस मुकदमें के मय सुद बशरह \_\_\_\_\_ सदी  
सात्वाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक \_\_\_\_\_का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06/07/2024 को जारी की गई।



  
(उम्मेदसिंह राजावत)  
उपखण्ड अधिकारी पिडावा  
जिला झालावाड (राज.)  
पिडावा जिला झालावाड (राज.)

मुकदमई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प कालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प दजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक मीजान			मीजान		